

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3132/2022

Jitendra Saini Son of Shambudayal, Aged About 22 Years,
Resident of Dhani Khatyala Ki, Post Achrol 14194, P.S. Chandwaji
Distt. Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Mukesh Kumar S/o Ramdev, Aged 32 Years, Resident of 142, Main Bus Stand Gunawata, Tehsil Amer, Distt. Jaipur. (Driver of Vehicle No. RJ-14-PC-1548).
2. Pramod Meena S/o Kailash Narayan, R/o Ward No.10 Bus Stand Gunawata Labana, Distt. Jaipur-303002 (Regd. Owner, Vehicle No. RJ-14-PC-1548).
3. Oriental Insurance Company Ltd., Through Manager Office-A-5 Aakashdeep Transport Nagar Jaipur. (Insurance Company Vehicle No. RJ-14-PC-1548) Validity 20-02-2019 Till 19-02-2020 Policy No. 243601/31/2019/6797 (Date of Accident 08-11-2019).

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Pankaj Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Virendra Saraswat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

14/11/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, प्रिटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर जिला जयपुर (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-25/2021(36/2020), जितेन्द्र बनाम मुकेश कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2022 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 32,25,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल 2,55,804/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की आय 5,850/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि अपीलार्थी पढ़ाई के साथ-साथ कृषि का कार्य करके 20,000/- से 25,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। प्रार्थी के पैरों में अस्थिभंग की चोट आने से आधे शरीर में कुल 18.95 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जिससे प्रार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी हुई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी कोई समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
6. यह अपील, अपीलार्थी की ओर से अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 08.11.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 20 वर्ष की आयु का होना बताते हुए पढ़ाई के साथ-साथ कृषि कार्य कर प्रतिमाह

20,000—25,000 /— रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस के आधार पर करते हुए 5,850 /— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की आय की गणना 30 दिवस के आधार पर की जानी चाहिए थी। तदनुसार अपीलार्थी की आय $225 \times 30 = 6,750$ /— रुपये प्रतिमाह होती है। अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वक्त घटना अपीलार्थी को 21 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,750 /— रुपये में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। 6,750 /— रुपये का 40 प्रतिशत 2,700 /— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 9,450 /— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के दोनों पैरों में अस्थिभंग की गंभीर चोटें कारित होना तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर भी चोटें कारित होना पाया गया है। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 18.95 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-16 के अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि अपीलार्थी को कृषि का कार्य करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। अतः अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति में 18.95 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 18.95 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 9,450 /— रुपये

का 18.95 प्रतिशत 1,790.77 /— रुपये पूर्णांक में 1,791 /— रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी को 21 वर्ष आयु का माना गया है। जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य: (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $1,791 \times 12 \times 18 = 3,86,856$ /— रुपये होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 5,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम अपीलार्थी को 20,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, अपीलार्थी को 20,000 /— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को उसके इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में मेडिकल बिलों के आधार पर कुल 50 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.11.2019 से दिनांक 11.11.2019 तक कुल 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने हेतु तथा पौष्टिक आहार एवं अटेण्डेंट इत्यादि हेतु संयुक्त रूप से कुल 3,300 /— रुपये दिलवाये गये हैं। उक्त मदों में हम अपीलार्थी को पृथक रूप से राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी दिनांक 09.11.2019 से दिनांक 11.11.2019 तक कुल 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 500 /— रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 1500 /— रुपये व पौष्टिक आहार की मद में

5,000/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित चोटों के फलस्वरूप ऑपरेशन से हुई पीड़ा, वेदना आदि के मद में कुल 5,000/— रुपये, अस्पताल आने-जाने हेतु परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में 5,000/— रुपये, साम्पतिक नुकसान के मद में 3,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	3,86,856/— रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	20,000/—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	20,000/—
4.	मेडिकल बिलों की मद में	50/—
5.	दौराने ईलाज 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	1,500/—
6.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/—
7.	शल्य चिकित्सा की मद	5,000/—
8.	परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000/—
9.	साम्पतिक नुकसान के मद में	3,000/—
10.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	4,46,406/— रुपये
11.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,55,804/— रुपये
12.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,90,602/— रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थी/क्लेमेंट को 2,55,804/— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 4,46,406/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी

राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

16. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है।

17. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J